दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) सं. 1712/2006

सुरक्षित: 16.05.2008
निर्णय की तिथि: 23.05.2008

निरीक्षक/कार्यकारी जसपाल सिंह मान .....याचिकाकर्ता
द्वारा: सुश्री रेखा पल्ली, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य ....प्रत्यर्थीगण
द्वारा: श्री अश्वनी भारद्वाज, अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल
माननीय न्यायमूर्ति श्री मूल चंद गर्ग

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ

2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

न्या. संजय किशन कौल

1. याचिकाकर्ता किराया मुक्त आवास या मकान किराया भत्ता (संक्षेप में 'एचआरए') न दिए जाने से केवल इसलिए व्यथित है क्योंकि प्रत्यर्थीगण ने यह निर्णय लिया है कि ऐसी सुविधा किसी विशेष शहर के लिए संवर्ग

सदस्य संख्या के आधार पर केवल कुछ प्रतिशत व्यक्तियों को ही दी जा सकती है।

2. याचिकाकर्ता को दिनांक 1.9.1988 के पत्र के अनुसरण में सीआईएसएफ़ में उप-निरीक्षक/कार्यकारी के रूप में चुना गया था। याचिकाकर्ता का प्रारंभिक वेतन 1400-40-1800 रुपये ई.बी.-50-2300 के वेतनमान में 1,400.00 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, "साथ ही समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार्य और अनुमोदित सामान्य भत्ते" भी थे। पत्र में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) और नियमों के उपबंधों के साथ-साथ किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमावली और विनियमों के संबंध में भी प्रावधान किया गया है, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर याचिकाकर्ता पर लागू करने के लिए विरचित किया जाएगा।

3. याचिकाकर्ता को सीआईएसएफ़ यूनिट सिविल एयरपोर्ट, अमृतसर से सीआईएसएफ़ यूनिट आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली में दिनांक 29.3.2005 के आदेश द्वारा अंतरित कर दिया गया था और याचिकाकर्ता मई 2005 में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। याचिकाकर्ता को अमृतसर में सरकारी पारिवारिक आवास प्रदान नहीं किया जा रहा था और इस प्रकार उसे मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा था। याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली में अपने अंतरण पर परिवार आवास के आवंटन के लिए आवेदन किए और अनुरोध किया कि यदि कोई पारिवारिक आवास उपलब्ध नहीं है तो उसे अपने परिवार के साथ एक आवास में रहने की अनुमति दी जाए और उसे मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जाए। प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को दिनांक 12.7.2005 के पत्र द्वारा सूचित किया कि उसके लिए कोई सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है तथा उसे परिवार के साथ रहने की

अनुमति दी जाएगी लेकिन बिना मकान किराया भत्ता के। परिवार के साथ रहने की अनुमति (आउट-लिविंग परमिशन) विभिन्न शर्तों के अधीन है, जिसमें कार्यस्थल से आठ किलोमीटर की परिधि के भीतर निवास करना भी शामिल था।

4. याचिकाकर्ता मकान किराया भत्ता मिलने से मना करने के उपरोक्त निर्णय से व्यथित था और इसके परिणामस्वरूप उसे किराये के भुगतान के लिए प्रति माह 4,000.00 रुपये की हानि हो रही है और इस प्रकार उसने 5.8.2005 और 19.11.2005 को एक अभ्यावेदन दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे मौखिक रूप से सूचित किया गया था कि पारिवारिक आवास या मकान किराया भत्ता का लाभ केवल 45 प्रतिशत नामांकित अधिकारियों के लिए स्वीकार्य था और चूँकि वह यूनिट में शामिल होने की तिथि पर अपनी वरिष्ठता के अनुसार 45 प्रतिशत के कोटे में नहीं आता था, इसलिए वह दोनों में से किसी का भी हकदार नहीं है।

5. इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिसमें प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश देने के लिए परमादेश रिट जारी करने की माँग की गई है कि वे उसे सरकारी पारिवारिक आवास या इसके बदले में मकान किराया भत्ता प्रदान करें और साथ ही उसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 (इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 61 को अभिखंडित करने की भी माँग की है, जिस पर प्रत्यर्थीगण ने उसे लाभ देने से इनकार करने के लिए भरोसा किया है।

6. अपने प्रति शपथपत्र में प्रत्यर्थीगण ने अभिवचन दिया है कि निरीक्षक के पद पर मकान किराया भत्ते का कोटा पहले ही समाप्त हो चुका है और इसलिए नई यूनिट में मकान किराया भत्ते के लिए याचिकाकर्ता के

अनुरोध की परीक्षा, याचिकाकर्ता द्वारा यूनिट में रिपोर्ट करने के बाद की गई। यह बयान दिया गया कि यह वरिष्ठता के आधार पर प्रदान किया जाता है और उसका नाम मकान किराया भत्ता के अनुदान के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर में दर्ज किया गया था। यह बयान दिया गया है कि निरीक्षक के पद पर मकान किराया भत्ता के अनुदान के लिए कोई कोटा नहीं था। प्रत्यर्थीगण ने उक्त नियमों के नियम 61 पर भरोसा किया है, जो निम्नानुसार है:

> "**61. नि:शुल्क आवास। -** (1) सामान्यतः, वह उपक्रम जहाँ बल तैनात किया गया है, सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों को टाउनशिप में ही आवास उपलब्ध कराएगा तथा बल के नामांकित सदस्यों को 45 प्रतिशत विवाहित और 55 प्रतिशत अविवाहित की दर से या समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा संशोधित दर पर आवास उपलब्ध कराएगा।
>
> (2) बल के नामांकित सदस्यों को आवास किराया मुक्त होगा, लेकिन जहाँ ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें इसके बदले में अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू मकान किराया भत्ता मिलेगा।
>
> (3) बल के सदस्यों को इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विवाहित आवास के बदले में प्रतिकर भी मिलेगा। यह प्रतिकर बल के उन सदस्यों के प्रतिशत को देय होगा जो विवाहित आवास पाने के हकदार हैं, जिसमें से बल के वे सदस्य घटा दिए जाएँगे जिन्हें उपक्रम द्वारा आवास आवंटित किया गया है।
>
> (4) बल का पर्यवेक्षी अधिकारी जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवास प्रदान किया गया है या संपदा निदेशालय द्वारा आवास आवंटित किया गया है, वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर्मचारियों के लिए लागू दरों पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा या सामान्य पूल आवास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर

निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा, जैसा भी मामला हो।

7. उपर्युक्त नियम को पढ़ने से पता चलता है कि प्रत्यर्थीगण बल को सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों को टाउनशिप में ही आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिसका अनुपात विवाहितों के लिए 45 प्रतिशत और अविवाहितों के लिए 55 प्रतिशत है या जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। उप-नियम 2 में प्रावधान है कि आवास किराया-मुक्त होगा, लेकिन जहाँ ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ सदस्य अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू मकान किराया भत्ता (एचआरए) पाने के हकदार होंगे। उप-नियम 3 में प्रावधान है कि बल के सदस्य समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार विवाहित आवास के बदले प्रतिकर पाने के भी हकदार हैं और प्रतिकर बल के उन सदस्यों के प्रतिशत के अनुसार देय होगा जो विवाहित आवास पाने के हकदार हैं, जिसमें से उन सदस्यों को घटाया (-) जाएगा जिन्हें उपक्रम द्वारा आवास प्रदान किया गया है।

8. प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 30.3.2000 के आदेश के साथ पठित दिनांक 27.11.1980 के आदेश पर भी भरोसा किया है, जिसमें कुछ कार्मिकों के लिए किराया-मुक्त आवास के बदले में प्रतिकर का प्रावधान किया गया है। कार्यालय के आदेशों का आशय यह है कि सीपीओ के अराजपत्रित कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की कुल संख्या के एक निश्चित प्रतिशत तक किराया-मुक्त आवास के बदले प्रतिकर के हकदार हैं और यह प्रतिशत संगठन से संगठन और रैंक से रैंक तक भिन्न हो सकता है। प्रतिकर के अनुदान के लिए विभिन्न सीपीओ में पात्र व्यक्तियों के प्रतिशत में ऊपर की ओर संशोधन किया गया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि

याचिकाकर्ता को किराया-मुक्त आवास और मकान किराया भत्ता दोनों से इनकार करना प्रत्यर्थीगण के अधिकार में है।

9. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिविरोध के समर्थन में भारत संघ बनाम दिनेशन के.के. (2008) 1 एस.सी.सी. 586 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें विभिन्न अर्धसैनिक बलों के वेतन आयोग की रिपोर्ट के कारण स्पष्ट असमानता और विसंगति से निपटा गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अनुचित और भेदभावपूर्ण होगा यदि सीआरपीएफ़ और बी.एस.एफ़ में रेडियो मैकेनिक्स को दिया जाने वाला वेतनमान असम राइफ़ल्स में रेडियो मैकेनिक्स को नहीं दिया जाता, जबकि तीनों संगठनों में इस पद की योग्यता और सेवा आवश्यकताएँ समान हैं। सरकार द्वारा इस आदेश को दी गई चुनौती को उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐसे व्यक्ति विभिन्न अर्धसैनिक बलों में समान कार्य कर रहे थे।

10. विद्वान अधिवक्ता ने निदेशक, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, केसरगोड एवं अन्य बनाम एम. पुरुषोत्तमन एवं अन्य 1995 सप (4) एस.सी.सी. 633 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से भी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसमें मकान किराया भत्ता की अवधारणा की निम्नलिखित शब्दों में चर्चा की गई है:

> "8. मकान किराया भत्ता प्रतिपूरक भत्ते की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। यह आवास के बदले में प्रतिकर है। यह परिभाषा अपने आप में यह स्पष्ट करती है कि प्रतिपूरक भत्ते का उपयोग लाभ के स्रोत के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल उन सुविधाओं की भरपाई के लिए दिया जाता है जो कर्मचारी को उपलब्ध नहीं हैं या प्रदान नहीं की गई हैं। इसलिए, जिस क्षण ये सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं या पेश की जाती हैं, कर्मचारी के लिए उस प्रतिकर की

प्राप्ति बंद कर देनी चाहिए जो इसके अभाव में दिया जाता है। इससे पहले कि हम यह घोषित करें कि मकान किराया भत्ता वेतन या भुगतान का एक भाग है, हमने अधिकरण के साथ मिलकर मौलिक नियमों में दिए गए 'वेतन' और "प्रतिपूरक भत्ते" की परिभाषा का परिशीलन किया था, और इसलिए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।"

11. इसी प्रकार कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम मंगलौर विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ एवं अन्य (2002) 3 एस.सी.सी. 302 में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 9 में निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"9. अनुच्छेद 14 पर आधारित तर्क पर विचार करने से पहले, हम खंड पीठ की इस टिप्पणी पर ध्यान देना चाहेंगे कि मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ता का भुगतान रियायत की प्रकृति का नहीं है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है। सच है, जैसा कि खंड पीठ ने बताया, मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ता, जो कुल वेतन के घटक हैं, निस्संदेह सेवा की शर्तों का हिस्सा हैं और उन्हें रियायत के रूप में वर्णित करना सटीक नहीं हो सकता है। संभवतः, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे रियायत के रूप में माना क्योंकि लाभ 4-5-1990 के जीओ संख्या 67 में निहित नियमों द्वारा अनुध्यात लाभ से अधिक दिया जा रहा था। जैसा भी हो, यह तथ्य कि मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ता सेवा की शर्तों का भाग हैं, प्रत्यर्थीगण को कहीं भी नहीं ले जाता है, क्योंकि साधारण कारण यह है कि सेवा की शर्तों को एकतरफा रूप से बदला जा सकता है जब तक कि ऐसी कार्रवाई विधिक और संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप हो। इसलिए, अंततः यह मुद्दा इस प्रश्न पर आ जाता है कि 'ग' श्रेणी के नगरीय कर्मचारियों को स्वीकार्य भत्ते के उच्चतर पैमाने का लाभ न देने या समय-समय पर जारी किए गए तदर्थ आदेशों के अंतर्गत दिए जा रहे लाभ को वापस लेने के लिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कहाँ किया जाता है।

12. हमने पक्षकारगण के परस्पर विरोधी प्रतिविरोधों का परीक्षण किया। विचार किए जाने वाला पहला पहलू मकान किराया भत्ता की अवधारणा ही है। मकान किराया भत्ता रियायत की प्रकृति का नहीं है, वरन् यह सेवा की शर्तों के भाग के रूप में कुल वेतन का एक घटक है। यह आवास के बदले में प्रतिपूरक भत्ते की प्रकृति का है। इस प्रकार, इसका उद्देश्य किसी कर्मचारी को उन सुविधाओं के लिए प्रतिकर देना है जो उपलब्ध नहीं हैं तथा अन्य कर्मचारियों को प्रदान की गई हैं। इस प्रकार सीआईएसएफ़ और अन्य सीपीओ के सेवा कार्मिकों को अलग-अलग स्टेशनों पर तैनात होने पर आवास प्रदान किया जाता है और इसकी कमी होने पर मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जाता है।

13. उक्त नियम के नियम 61 के क्रियान्वयन और उसकी व्याख्या से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ ऐसे आवास या उसके बदले में मकान किराया भत्ता दिए जाने को इस बात पर निर्भर बनाया जाना चाहा गया है कि व्यक्ति कहाँ तैनात है।

14. यह कहना अतिसामान्य है कि अंतरण या तैनाती सेवा का एक मामला है। प्रत्यर्थीगण ऐसे व्यक्तियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग थानों पर तैनात करते हैं और इस प्रकार आवास या मकान किराया भत्ता के अनुदान के प्रश्न पर उस थाने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है जिस पर व्यक्ति की तैनाती की गई है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता अमृतसर से दिल्ली में तैनात होने के लिए आया है, उसे मकान किराया भत्ता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

15. उल्लेख करने योग्य एक अन्य पहलू यह है कि कुछ अर्धसैनिक बलों में, 100 प्रतिशत बल को पारिवारिक आवास या इसके बदले में मकान

किराया भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जिससे अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के बीच भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है और इस प्रकार भारत संघ बनाम दिनेशन के.के. मामले (पूर्वोक्त) में निर्धारित सिद्धांत समान रूप से लागू होंगे।

16. याचिकाकर्ता को जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार्य और स्वीकृत भत्ते लागू होंगे तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा स्वीकार किए गए अनुसार सीसीएस (एचआरए) नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता देय होगा।

17. हम उन व्यक्तियों की कृत्रिम श्रेणी बनाने के औचित्य या आधार की विवेचना करने में विफल रहे हैं जो आवास या मकान किराया भत्ता के लिए अयोग्य होंगे। उपलब्ध आवास के वितरण के लिए कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिशत निर्धारित किए जा सकते हैं। यह आवास की कमी का एक स्वाभाविक परिणाम है। याचिकाकर्ता इसके संबंध में शिकायत नहीं कर सकता। हालाँकि, यदि किसी कार्मिक को पारिवारिक आवास के वितरण के प्रतिशत के अनुसार व्यक्तियों की अपनी श्रेणी में उसकी वरिष्ठता कम होने के कारण पारिवारिक आवास नहीं दिया जाता है, तो मकान किराया भत्ता अवश्य दिया जाना चाहिए। इस नियम की व्याख्या करने से यह तात्पर्य निकलता है कि न केवल विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिशत वितरण है, बल्कि इस दायरे से बाहर रहने वाले व्यक्ति मकान किराया भत्ते से भी वंचित हो जाएँगे। नियम को पढ़ने का एकमात्र तरीका जो संधार्य रहेगा वह यह होगा कि उक्त नियम के नियम 61 के अनुसार यदि नियम 61 के उप-नियम 1 के अनुसार वितरण के प्रतिशत में वह पर्याप्त वरिष्ठता का नहीं है तो नियम 61 किसी व्यक्ति को पारिवारिक आवास का दावा करने का अधिकार नहीं

देगा, लेकिन ऐसी स्थिति में वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू आवास भत्ते के बदले में आवास भत्ते का हकदार है। उक्त नियम के नियम 61 का उप-नियम 2 स्पष्ट है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जिन लोगों को आवास की कमी के कारण मुफ़्त आवास प्रदान नहीं किया जा सकता है, जिसे विवाहित और अविवाहित अधिकारियों के मामले में 45 प्रतिशत: 55 प्रतिशत के अनुपात में वितरित किया जाना है, उन्हें आवास के बदले में मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाएगा। यदि उक्त नियमों के नियम 61 (1) और नियम 61 (3) को एक साथ पढ़ा जाए, तो एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है, वह यह है कि हालाँकि ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ किसी विशेष स्टेशन पर तैनात अधिकारी को आवंटन के लिए घर उपलब्ध न हो, फिर भी वह मकान किराया भत्ता का हकदार होगा। हालाँकि, ऐसे मामले में जहाँ कोई व्यक्ति विवाहित आवास का हकदार है, लेकिन उसे अविवाहित आवास प्रदान किया जाता है, तो वह अविवाहित श्रेणी के लिए उपलब्ध घर के आवंटन के अतिरिक्त विवाहित आवास के बदले प्रतिकर का भी हकदार हो सकता है यदि वह उक्त घर में रहना चाहता है।

18. उक्त नियमों के नियम 61 को ऊपर बताए गए तरीके से पढ़ने से यह भी संकेत मिलता है कि सरकारी परिपत्र, अर्थात् दिनांक 30.3.2000 और 27.11.1980 के परिपत्र, जिस पर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहुत अधिक भरोसा किया है गलत धारणा पर आधारित हैं, क्योंकि वे परिपत्र, उक्त नियमों के नियम 61 (2) अर्थात् कानून पर अभिभावी नहीं हो सकते हैं।

19. इसके विपरीत व्याख्या नियम को भेदभावपूर्ण बना देगी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध होगी, जिसका उद्देश्य पूरा होने से

कोई संबंध नहीं है। प्रत्यर्थीगण का यह आशय शायद ही हो सकता है कि मकान किराया भत्ता का अनुदान एक संयोग कारक पर निर्भर है कि व्यक्ति कहाँ तैनात है। वास्तव में, इसका परिणाम स्वयं व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक प्रतिनिधित्व और उन स्थानों पर तैनाती के लिए दबाव के रूप में हो सकता है जहाँ वे ऐसे मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे क्योंकि अन्य स्थानों पर तैनाती उन्हें इस अधिकार से वंचित कर देगी। देश के अधिकांश भागों में आवास महँगा है और एक सेवा कार्मिक के लिए एक बड़ा खर्च है। इस प्रकार, ऐसे मकान किराया भत्ता का अनुदान एक शहर से दूसरे शहर में भिन्न नहीं हो सकता है, सिवाय इस सीमा तक कि मकान किराया भत्ता की राशि शहर/नगर के वर्गीकरण पर निर्भर होकर भिन्न होगी।

20. हम इसे भी भेदभावपूर्ण व्यवहार मानते हैं, जहाँ समान पद पर स्थित अन्य अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को उस स्थान पर तैनात सभी कार्मिकों के लिए आवास या मकान किराया भत्ता मिल रहा है, जबकि अन्य अर्धसैनिक सेवाओं में ऐसे लाभ से इनकार किया जा रहा है।

21. इस प्रकार, हमारा यह सुविचारित मत है कि प्रत्यर्थीगण की सेवा में कार्यरत व्यक्ति, जब किसी भी स्थान पर तैनात होंगे, तो वे केंद्रीय सरकार के मानदंडों के अनुसार आवास या इसके बदले में मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे, प्रतिपूर्ति का मूल्य उस शहर पर निर्भर करेगा जहाँ वे तैनात हैं।

22. प्रत्यर्थीगण को निर्देश देते हुए एक परमादेश रिट जारी की जाती है कि वे याचिकाकर्ता को पारिवारिक आवास के बदले में मकान किराया भत्ता का भुगतान करें, जिस दिन से याचिकाकर्ता ऐसे पारिवारिक आवास का दावा करने का हकदार हुआ और उक्त नियमों के नियम 61 को तदनुसार पढ़ा

जाता है, ताकि यह निहित हो कि ऐसी पात्रता उक्त नियमों के मापदंडों के भीतर होगी। ऐसे नियम को पढ़ना स्वीकार्य है, ताकि उक्त नियम को बरकरार रखा जा सके, क्योंकि विकल्प यह होगा कि नियम को भारत के संविधान का उल्लंघन करने वाला मानकर अभिखंडित कर दिया जाए और ऐसी व्याख्या की जाए जो नियम को बनाए रखे और फिर भी इसे मनमाना या भेदभावपूर्ण न बनाए, जो उचित कार्रवाई होगी। आज से तीन (3) महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को बकाया राशि का भुगतान किया जाना है।

23. उपरोक्त संबंध में याचिका को अनुमति दी जाती है।

24. याचिकाकर्ता 5,000.00 रुपये के निर्धारित जुर्माने का भी हकदार होगा।

न्या. संजय किशन कौल

मई 23, 2008 न्या. मूल चंद गर्ग

बी'नेश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*